संख्या-155/2016/821/22-2-2016-17(214)/2016

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 21 सितम्बर, 2016***

विषय:- जिला कारागार, फैजाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शंकर नाथ मिश्रा पुत्र श्री राम गुलाम निवासी जनपद-फैजाबाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3284/पर-7(एम-20-01-2016) दिनांक-03-02-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, फैजाबाद में निरूद्ध बन्दी शंकर नाथ मिश्रा पुत्र श्री राम गुलाम, ग्राम-बलदेव तिवारी का पुरवा, थाना-खण्डासा, जनपद-फैजाबाद का निवासी है। दहेज में स्कूटर की मांग पूरी न होने के कारण बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 26.09.2001 को दिन में लगभग 03:00 बजे अपनी पत्नी गुडिया पर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-174/2007 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-498ए, 304बी, 201 व 3/4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-2 फैजाबाद द्वारा दिनांक 30.08.2011 को 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा रूपये 5000 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15-09-2015 तक 04 वर्ष 06 माह 26 दिन की अपरिहार तथा 05 वर्ष 10 माह 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण अच्छा है। बन्दी की 01 सहअभियुक्ता जमानत मुचलके पर रिहा हो चुकी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध कारित करने की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता है, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी शंकर नाथ मिश्रा पुत्र श्री राम गुलाम निवासी जनपद-फैजाबाद को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेयक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी शंकर नाथ मिश्रा (बन्दी संख्या-5578/11) पुत्र श्री राम गुलाम निवासी जनपद-फैजाबाद के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-155/2016/821(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, फैजाबाद।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-155/2016/821@22-2-2016-17(214)/2016

दिनांक 21 सितम्बर, 2016 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, फैजाबाद में निरूद्ध बन्दी शंकर नाथ मिश्रा पुत्र श्री राम गुलाम, ग्राम-बलदेव तिवारी का पुरवा, थाना-खण्डासा, जनपद-फैजाबाद का निवासी है। दहेज में स्कूटर की मांग पूरी न होने के कारण बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 26.09.2001 को दिन में लगभग 03:00 बजे अपनी पत्नी गुडिया पर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-174/2007 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-498ए, 304बी, 201 व 3/4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-2 फैजाबाद द्वारा दिनांक 30.08.2011 को 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा रूपये 5000 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15-09-2015 तक 04 वर्ष 06 माह 26 दिन की अपरिहार तथा 05 वर्ष 10 माह 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण अच्छा है। बन्दी की 01 सहअभियुक्ता जमानत मुचलके पर रिहा हो चुकी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध कारित करने की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता है, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी शंकर नाथ मिश्रा पुत्र श्री राम गुलाम निवासी जनपद-फैजाबाद को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।